

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)01/2007	पीप कार्यक्रम के तहत ह्युमैनिटी संस्था द्वारा संचालित आवासीय बालिका विद्यालय बरहरवा एवं पतना के बकाये राशि का भुगतान तथा सामान वापस करने के संबंध में।	04.01.2011	परिवादी को देय बकाये राशि का भुगतान दिलाया गया। परिवादी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
2.	02/लोक(शिक्षा)19/2008	जिला प्राथमिक शिक्षा पदाधिकारी, गुमला द्वारा श्रीमती अंजेली टोप्पो, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका राजकीय कन्या मध्य विद्यालय गुमला को सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में।	18.04.2011	परिवादी द्वारा सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान नहीं होने से संबंधित परिवाद दर्ज किया गया था। वादी को सेवान्त लाभों का पूर्ण भुगतान दिलाया गया।
3.	01/लोक (शिक्षा)19/06	श्री गोपीनाथ गागराई, प्रधानाध्यापक (नि०) मध्य विद्यालय ईचाडीह प्रखण्ड, इचागढ़ जिला सरायकेला-खरसांवा द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक सरायकेला-खरसांवा एवं अन्य पर लगाये गये आरोप से संबंधित परिवाद।	28.03.2011	परिवादी द्वारा मामले से संबंधित वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुतोष प्राप्त होने एवं परिवाद वापस लिये जाने के अनुरोध के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
4.	02/लोक (शिक्षा)06/2011	श्री सुरज देव प्रसाद, सेवानिवृत्त कर्मचारी रांची विश्वद्यालय के ग्रेजुटी का लाभ नहीं प्राप्त होने से संबंधित परिवाद।	10.03.2011	परिवादी को देय सभी सेवान्त लाभों से संबंधित भुगतान दिलवाया गया।
5.	02/लोक(शिक्षा)110/2005	स्व० तुरिया उराँव, सेवानिवृत्त शिक्षक, प्रा०वि० दुगू जिला- लोहरदगा के आश्रित धर्मपत्नी मो० मांगो देवी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के संबंध में	29.04.2011	परिवादिनी को भविष्य निधि के बकाये का भुगतान दिलाया गया। पारिवारिक पेंशन के भुगतान से संबंधित दावा नियमानुकूल नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया।
6.	02/लोक(शिक्षा)20/2009	झारखण्ड राज्य के मसलिया ब्लॉक में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित "अनुसूचित जनजाति में शिक्षा के विकास" कार्यक्रम के तहत निरीक्षण रिपोर्ट उपायुक्त, दुमका द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित रखने के संबंध में।	20.05.2011	उपायुक्त दुमका द्वारा परिवादी के शिकायत से संबंधित मामले का निष्पादन कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा शिकायत का समाधान से संबंधित पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् मामले का निष्पादन किया गया।
7.	02/लोक(शिक्षा)03/2011	श्री सनत कुमार विश्वास, सेवानिवृत्त शिक्षक, एल०ई० बी०बी० स्कूल, राँची के पंचम पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में पेंशन निर्धारण करने के संबंध में।	26.05.2011	परिवादी द्वारा पंचम पुनरीक्षित पेंशन एवं बकाये राशि के भुगतान के संबंध में परिवाद दर्ज कराया गया था। वादी को पूर्ण रूप से अनुतोष दिलाया गया।
8.	02/लोक(शिक्षा)07/2007	स्व० डी० विमल कन्दुलना, प्रधानाध्यापक, आर०सी०	03.06.2011	वादी द्वारा अपने पति की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत देय सभी

		मध्य विद्यालय, पिडुल रनिया के बकाया राशि के भुगतान तथा उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।		तरह के भुगतान एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद दर्ज कराया गया। वादी को उनके पति को देय सभी सेवान्त लाभो का भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन शुरू कराया गया।
9..	02/लोक(शिक्षा)02/2007	श्री प्रेमचन्द कुमार, सहायक शिक्षक, उ०प्रा०विद्यालय लेदहा (चतरा) के मार्च 2003 से बकाये भुगतान के संबंध में।	06.06.2011	वादी को वर्ष 2003 से देय मानदेय का पूर्ण भुगतान दिलाया गया।
10..	02/लोक(शिक्षा) 16/06	स्व. तपती बनर्जी, विद्यालय उप निरीक्षक, जामताड़ा के मरणोपरांत बकाया देय पावनाओं के भुगतान के संबंध में।	19.04.2011	वादी को उनकी बहन के मरणोपरांत देय सभी तरह के लंबित लाभों की राशि का पूर्ण रूप से भुगतान दिलाया गया।
11.	02/लोक(शिक्षा) 07/2011	श्रीमती अंजला हांसदा, पति-स० एस० जे० मूर्खू, दुघानी दुमका, संधान परगना माननीय लोकायुक्त, बिहार के निर्णय पर Dispute पैदा कर परेशान करने के संबंध में।	03.03.2011	परिवादिनी से संबंधित मामला पुलिस अधीक्षक, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची द्वारा निगरानी थाना काण्ड सं०-29/2010 दर्ज होने के कारण अस्वीकृत किया गया।
12.	02/लोक (शिक्षा) 19/11	अभय कुमार, से०नि० प्रधान लिपिक, जिला शिक्षा कार्यालय, धनबाद के छठे वेतनमान के आलोक में पेंशन निर्धारण के संबंध में।	22.7.2011	परिवादी को पुनरीक्षित पेंशन का निर्धारण कराया गया।
13.	02/लोक (शिक्षा) 18/09	श्रीमती शकुन्तला शर्मा, पत्नी स्व० बालकृष्ण शर्मा का पारिवारिक पेंशन छठे वेतनमान के आलोक में भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद।	05.03.2011	परिवादनी को पुनरीक्षित पेंशन का निर्धारण कराया गया।
14.	01/लोक (शिक्षा) 10/09	श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, उ० म० वि०, पोचाथोल, पाकुड़ द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सहयोगी शिक्षक में बहाल होने से संबंधित श्री किस्टो दास सोरेन, पाकुड़ का परिवाद।	26.7.2011	कई स्मार के बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
15.	02/लोक(शिक्षा) 04/2008	बोर्ड उर्दू मध्य विद्यालय शाह नगर झरिया के शिक्षा सह ग्राम शिक्षा समिति के सचिव के विरुद्ध श्री कैशर साहाब, प्रदेश महासचिव, इदरिशिया दर्जी फेडरेशन, झरिया धनबाद से प्राप्त परिवाद।	26.7.2011	परिवादी के शिकायत से संबंधित मामले का निष्पादन उपायुक्त धनबाद द्वारा कर दिए जाने के फलस्वरूप अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
16.	02/लोक(शिक्षा)01/2011	श्री शिवनाथ ठाकुर सेवानिवृत्त लिपिक +2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय दुमका को सेवानिवृत्त के पश्चात सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु अनैतिक व अवैधानिक रूप से परेशान करने के संबंध में।	14.07.2011	परिवादी को देय सभी सेवान्त लाभों से संबंधित भुगतान दिलवाया गया।
17.	02/लोक(शिक्षा)20/2008	श्रीमती मेरी एक्का, से०नि० सहायक शिक्षिका राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, गुमला के सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के संबंध में।	30.05.2011	परिवादी को देय सभी सेवान्त लाभों से संबंधित भुगतान दिलवाया गया।
18.	02/लोक (मा० शिक्षा) 10/09	श्री कृष्ण चौबे, सेवानिवृत्त लिपिक मोर्डन उच्च विद्यालय गोमिया के छठे वेतनमान के अनुरूप बकाया राशि के भुगतान के संबंध में।	08.08.2011	विषयक संदर्भ में परिवादी को बकाया राशि का भुगतान दिलवाया गया।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक (राजस्व) 133/05	श्री दयानन्द प्रसाद, अपर समाहर्ता राजस्व पलामू के विरुद्ध आरोप से संबंधित परिवाद।	14.03.2011	परिवाद से संबंधित मामला आयुक्त पलामू प्रमण्डल डालटेंगंज के यहाँ परिवादी द्वारा दायर करने एवं वहाँ लंबित रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(4) के तहत परिवादी को अन्य अनुतोष उपलब्ध होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
2.	02/लोक (राजस्व) 67/05	श्री बच्चानन्दन सहाय, मुद्रक विक्रेता की अनुज्ञप्ति गुम हो जाने के फलस्वरूप द्वितीय अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद।	19.04.2011	परिवाद पर उपायुक्त चतरा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जिसमें अंकित है कि बच्चानन्दन सहाय की मृत्यु हो चुकी है वैसी स्थिति में मृत व्यक्ति के नाम से द्वितीय अनुज्ञप्ति निर्गत करना यथोचित नहीं होगा पर विचारोपरांत परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
3.	02/लोक (राजस्व एवं भूमि सुधार)14/2008	पूर्व एस.एस.पदा. रांची तथा एस.डी.ओ. रांची द्वारा श्री रंजीत भट्टाचार्य एवं संजीव कुमार सिंह के पक्ष में दखल दिलाने के संबंध में श्री अरुण मुण्डा पीस रोड, लालपुर से प्राप्त परिवाद।	19.04.2011	उपायुक्त रांची से प्राप्त प्रतिवेदन एवं परिवादी के मामले से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8(1)(ख) के तहत परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
4.	02/लोक(राजस्व)01/2010	जिला भू-अर्जन पदा० रामगढ़, परियोजना निदेशक, एन. एच. ए. आई. रांची एवं प्रोजेक्ट मैनेजर एन.एच. ए. आई. के गलत नीति के विरुद्ध प्राप्त परिवाद।	19.04.2011	उपायुक्त रामगढ़, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें परिवाद से संबंधित मामला पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय में परिवादी द्वारा दायर किये जाने एवं वहाँ से निष्पादित किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन पर विचारोपरांत अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
5.	02/लोक(राजस्व)03/2008	श्री सरस्वती प्रसाद श्रीवास्तव, ग्राम-हरीला डाकघर, धनौति जिला- भोजपुर बिहार से प्राप्त शिकायतवाद।	09.05.2011	परिवादी के मृत्यु होने एवं उनसे संबंधित मामला Maintanable नहीं रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद किया गया।
6.	02/लोक(राजस्व)04/2008	स्व० दीनबंधु भगत, पंचायत सेवक के मृत्यु सेवानिवृत्त उपादान से संबंधित।	09.05.2011	परिवादी द्वारा अपने पिता के मृत्युपरांत उनके सेवान्त लाभों में से गलत तरीके से की गयी कटौती करीब 70,000/-रु० के विरुद्ध शिकायत दर्ज किया गया था। परिवादी को गलत तरीके से की गयी कटौती राशि का भुगतान दिलाया गया।
7.	02/लोक(राजस्व)15/2009	श्री भदरू लोहरा, सेवानिवृत्त चौकीदार ग्राम-चुन्द, थाना- माण्डर जिला-राँची से प्राप्त शिकायत।	02.06.2011	परिवादी द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि 30.4.2000 के पश्चात् पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित शिकायत किया गया था। परिवादी को प्रतिमाह मिलनेवाले पेंशन राशि का भुगतान चालू करवाया गया।
8.	02/लोक(राजस्व)14/2009	स्व० रुदन खलखो, पति-स्व० नन्हू उराँव,	02.06.2011	परिवादिनी द्वारा अपने स्व० पति के मृत्यु वर्ष 1998 में होने के

		बुढ़ाखुखरा, माण्डर से प्राप्त शिकायत		पश्चात् पूर्ण पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित शिकायत किया गया था। परिवादिनी को प्रतिमाह मिलनेवाले पूर्ण पेंशन राशि का भुगतान चालू करवाया गया।
9.	02/लोक(राजस्व)12/2009	विधवा सिलवन्ती कच्छप, पति-स्व० मतियस कच्छप, बरगड़ी, माण्डर से प्राप्त शिकायत पत्र।	02.06.2011	परिवादिनी द्वारा अपने स्व० पति के मृत्यु की तिथि 1997 के पश्चात् पूर्ण पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित शिकायत किया गया था। परिवादी को प्रतिमाह मिलनेवाले पूर्ण पेंशन राशि का भुगतान चालू करवाया गया।
10.	02/लोक(राजस्व)13/2008	श्री जुगेश उरॉव, अध्यक्ष आदिवासी उन्नति समाज पुरानी राँची से प्राप्त शिकायत वाद	08.06.2011	परिवादी द्वारा परिवाद वापस लिये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
11.	02/लोक(राजस्व)04/2011	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भू-बंदोबस्त कार्यालय राँची के सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान नहीं होने के संबंध में।	13.06.2011	परिवादी को सभी प्रकार के सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान दिलाया गया।
12.	02/लोक(राजस्व)17/2009	चतरा प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं बड़ा बाबु द्वारा घुस लिए जाने के संबंध में।	25.07.2011	परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप एवं उपायुक्त चतरा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप निराधार तथा असत्य पाया गया। अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
13.	02/लोक (राजस्व)06/2011	श्री अर्जुन प्रसाद सेवा निवृत्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय पलामू के अव्यवहृत अवकाश के सम्तुल्य राशि का भुगतान एवं पेंशन निर्धारण नहीं किए जाने से संबंधित।	22.07.2011	परिवादी को देय सभी सेवान्त लाभों यथा पेंशन, पेंशन रूपान्तरण, उपादान एवं छुट्टी नगदीकरण का भुगतान दिलाया गया।
14.	01/लोक (राजस्व)07/2011	श्री परमेश्वर प्रसाद गुप्ता एवं जगदीश प्रसाद गुप्ता, डेहरी रोहतास द्वारा मुआवजा भुगतान नहीं होने से संबंधित दायर परिवाद।	22.7.2011	उपायुक्त रांची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
15.	02/लोक (राजस्व)16/2009	श्री नरेश पासवान चालक, एल. आर. डी. सी. चतरा के विरुद्ध श्री रंजीत सिंह, सिमरिया से प्राप्त शिकायत	9.6.2011	शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र नहीं दिए जाने एवं शिकायतकर्ता द्वारा इच्छुक नहीं पाये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
16.	02/लोक(राजस्व)01/2011	देवचन्द्र कुमार सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी धनबाद के पेंशन भुगतान नहीं होने से संबंधित शिकायत।	23.9.2011	विषयक संदर्भ में महालेखाकार, झारखंड के ज्ञापांक 6135 दिनांक 12.01.2011 के आलोक में परिवादी का मंतव्य अप्राप्त है।
17.	02/लोक(राजस्व)20/2009	चतरा प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं बड़ा बाबु द्वारा घुस लिए जाने के संबंध में।	25.07.2011	परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप एवं उपायुक्त चतरा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप निराधार तथा असत्य पाया गया। अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
18.	02/लोक(राजस्व)20/2009	श्री जगबन्धु पंडित, दुमका द्वारा अंचलाधिकारी जामा के विरुद्ध बिचौलियों को पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ पहुँचाने के संबंध में।	26.09.2011	परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप को साबित नहीं कर पाने के कारण परिवाद को खारिज किया गया।
19.	01/लोक (राजस्व)02/2009	श्री रामगोपाल साह, दुमका द्वारा अंचलाधिकारी जरमुण्डी, राजेन्द्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध रिश्वत लेने के संबंध में दायर परिवाद।	26.09.2011	चुकि मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी द्वारा इसी संदर्भ में वाद को खारिज किया जा चुका है, अतः पोषणीय प्रतीत नहीं होने के कारण इसे खारिज किया गया।

20.	01/लोक (राजस्व)03/2011	श्री दयानंद झा, द्वारा अंचलाधिकारी देवघर के विरुद्ध जमीन का मनमानी तरीके से नामांतरण करने के संबंध में दायर परिवाद।	12.09.2011	अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को संचिकास्त किया गया।
21.	02/लोक (राजस्व)01/2008	मोहम्मद असलम के आवेदन पत्रों पर सदर अंचलाधिकारी हजारीबाग द्वारा यथोचित कार्यवाही नहीं करने के संबंध में दायर परिवाद	07.09.2011	आदेश के अनुपालन के अभाव में परिवाद को खारिज किया गया।
22.	02/लोक (राजस्व)17/2006	श्री सुर्यनाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुंसीराम ग्राम-हरिगांव पो0-सनिया, थाना-जगदीशपुर जिला- भोजपुर से प्राप्त परिवाद।	29.11.2011	परिवादी को सेवा काल के दौरान ही अपने विभाग को आवेदन देकर इस का निराकरण प्राप्त करना चाहिए था जो वे नहीं किये। सेवानिवृत्त के बाद संबंधित विभाग को उनके सेवा में टुट को नियमित करने मानने के लिए निदेश देन नयायोचित प्रतीत नहीं होता।
23.	02/लोक(राजस्व)05/2008	श्री त्रिभुवन प्रसाद सेवानिवृत्त मुंसरीम बन्दोबसत कार्यालय धनबाद के सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाले पेंशन एवं अन्य उपादान का भुगतान के संबंध में।	13.12.2011	परिवादी को सभी प्रकार के देय पावनाओं एवं पेंशन का भुगतान का लाभ दिलाया गया।

पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पुलिस)135/2005	दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 28.11.2005 में प्रकाशित शीर्षक खबर केस फाईनल करने के नाम पर डेढ़ लाख मांगा थानेदार ने के जाँच के संबंध में हरिश कुमार पाठक का शिकायत।	31.03.2011	पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, रांची से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें थाना प्रभारी पर विभागीय कार्यवाही चलाते हुए दण्ड दिए जाने की सूचना के उपरांत अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
2.	01/लोक (पुलिस) 02/07	अनुमण्डल पदाधिकारी पलामू द्वारा उपायुक्त के आदेश के बावजूद परिवादी श्री जगदीश प्रसाद सिंह के जानमाल की रक्षा हेतु कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद।	15.04.2011	परिवाद में लगाये गये आरोप के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, पलामू अंचलाधिकारी पलामू सदर तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्वद मेदनीनगर द्वारा परिवाद के आलोक में कार्रवाई किये जाने की सूचना के उपरांत परिवादी को उपचार प्राप्त हो जाने पर संतुष्ट हो जाने के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
3.	01/लोक(पुलिस)01/2009	श्री हरि प्रसाद साह, थाना प्रभारी नगर उंटारी, जिला-गढ़वा पर श्री दिलीप कुमार सिंह, उत्तरप्रदेश द्वारा दर्ज परिवाद।	13.6.2011	परिवाद पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकी।
4.	01/लोक(पुलिस)01/08	श्री उत्तम तिवारी, थाना प्रभारी, नाला के विरुद्ध निर्मला देवी जामताड़ा का परिवाद पत्र।	09.05.2011	पुलिस अधीक्षक जामताड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं परिवाद से संबंधित वाद सत्र न्यायाधीश जामताड़ा के न्यायालय में लंबित रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई
5.	02/लोक(पुलिस)04/2011	अनुकम्पा आधारित लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अंजु त्रिपाठी का शिकायत।	06.06.2011	पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक (मुख्यालय) झारखण्ड रांची के आदेश के आलोक में पअग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।

6.	01/लोक (पुलिस) 03/11	गृह विभाग झारखण्ड रांची के लिपिक श्री अजय कुमार पर रिश्तेदार के मकान बेचने के एवज में 18 लाख रू0 गबन करने के संबंध में श्री सरोज कुमार से प्राप्त परिवाद।	21.7.2011	परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात जिसमें परिवाद से संबंधित मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के न्यायालय में दर्ज होने एवं उसमें पारित आदेश के आलोक में परिवाद पोषणीय नहीं पाया गया एवं अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
7.	02/लोक (पुलिस) 3/2011	हरिजन थाना केस सं0-70/09 पर थाना प्रभारी वे आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण रांची द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर श्रीमती रूबी देवी का शिकायत।	09.04.2011	ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक रांची द्वारा परिवाद के निराकरण हेतु की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एवं परिवादी द्वारा की गयी कार्रवाई पर दिए गये मन्तव्य के आलोक में वाद में अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
8.	02/लोक(पुलिस)09/2011	प्रबंध निदेशक झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि0 राँची कं स्तर पर प्रतिनियुक्ति अवधि का Leave Salary एवं पेंशन Contribution से संबंधित राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	01.08.2011	विषयक विश्लेषित शिकायत के संदर्भ में परिवादी को विधि सम्मत बकाये राशि का भुगतान किया गया।
9.	02/लोक(पुलिस)19/2009	श्री सोमा उराँव सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लालपुर थाना के काण्ड संख्या200/09 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किये जाने का संबंध में दर्ज परिवाद।	23.08.2011	सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज शीट पहले ही न्यायालय में फाएल किया जा चुका है।
10	01/लोक(पुलिस)05/2011	महेशपुर थाना काण्ड सं0-49/11 नाबालिग हरिजन अमर रजक की हत्या की निष्पक्ष जांच के संबंध में श्री किशोर रजक से प्राप्त शिकायत।	11.07.2011	पुलिस द्वारा अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेने तथा उनके खिलाफ चार सिट दाखिल करने के पश्चात मामले पर अगली कार्रवाई बंद कर दी गई।
11.	02/लोक(पुलिस)18/2011	व्यवहार न्यायालय गिरिडीह का वाद सं0 131/08 टी0 आर0 सं0 1519/11 के तहत मुदालई बहादुर राना वल्द श्री वजीर राना कके विरुद्ध निर्गत वारंट कुर्की जब्ती को क्रियान्वित करने के संबंध में।	20.09.2011	
12	02/लोक(पुलिस)02/2011	सुखदेव नगर थाना काण्डसं0 83/10 का सही अनुसंधान एवं थाना प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ता से पैसे की मांग करने के संबंध में।	14.11.2011	अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चारसिट दाखिल किया जा चुका है तथा कानून संवत कार्रवाई चलने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
13.	01/लोक(पुलिस)01/2011	थाना प्रभारी महेशपुर द्वारा केस हलका करने एवं इसकी शिकायत आरक्षी अधीक्षक पाकुड़ से करने पर आवेदन नहीं लेने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	27.10.2011	परिवाद न्यायालय में विचाराधीन रहनेके कारण संचिकास्त।
14.	01/लोक(पुलिस)06/2006	हजारीबाग समाहरणालय में की गई चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की अवैद्य नियुक्ति रद्द करने के संबंध में मुद्रिका रानी का परिवाद।	29.10.2011	परिवाद प्रारूप के अनुरूप नहीं रहने के कारण तथा माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई।
15.	02/लोक(पुलिस)06/2011	चतरा सदर थाना काण्ड सं0 177/10 के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में श्रीमती समुद्री देवी का शिकायत।	18.10.2011	परिवाद के अनुसंधान के लिए पर्याप्त आधार नहीं रहने तथा पीवादी को अन्य अनुतोष प्राप्त के कारण मामले पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।

16.	02/लोक(पुलिस)10/2011	सुरक्षा के अभाव में खतरे को लेकर अपने ही घरों में जेल के समान जीने के संबंध में श्री राजेन्द्र स्वर्णकार से प्राप्त शिकायत ।	21.11.2011	परिवादी द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उचित तर्क नहीं दिये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दी गई ।
17.	02/लोक(पुलिस) 11/2011	अनिल सिंह हत्या कान्ड के संबंध में श्री विष्णुगुन सिंह डालटनगंज का शिकायत ।	26.11.2011	अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में लम्बित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा मामले पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
18.	02/लोक(पुलिस)13/2006	अयाध्या प्रसाद भगत प्रखण्ड अध्यक्ष जनता दल युनाईटेड, महेशपुर पाकुड़ का परिवाद पत्र ।	16.12.2011	परिवाद माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण संचिकास्त ।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(ग्रा०अ०सं०)05/2006	श्री लेखानन्द झा, अधिवक्ता, सुखदेवनगर रातु रोड, राँची द्वारा प्रेषित वकालतन नोटिस के संबंध में ।	09.05.2011	शिकायत के समर्थन में स्मार के बावजूद शपथ पत्र समर्पित नहीं किए जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
2.	02/लोक(ग्रा०वि०वि०)06/2006	श्री कृष्ण किशोर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटखोरी, जिला-चतरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप ।	31.5.2011	पुलिस अधीक्षक, निगरानी ब्यूरो राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
3.	02/लोक(ग्रा०अ०सं०) 01/2007	श्री राजीव कुमार वासुदेव, कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल जमशेदपुर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री दिनेश सिंह जमशेदपुर से प्राप्त परिवाद ।	09.07.2011	शिकायतकर्ता द्वारा चार स्मार पत्र के बावजूद शिकायत के समर्थन में शपथ-पत्र जमा नहीं किए जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
4.	01/लोक (ग्रा.वि.वि.) 04/2008	पंचायत प्रभारी गुमला प्रखण्ड द्वारा परिवादी श्री बसंत उरांव का शिकायत दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में प्राप्त परिवाद ।	10.6.2011	शिकायत पोषणीय नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
5.	02/लोक(ग्रा०अ०सं०) 01/2008	श्री शिवराज यादव, प्रशाखा चपरासी, ग्रामीण अ.स.कार्य प्रमण्डल लोहरदगा द्वारा जालसाजी, धोखाधड़ी कर नौकरी प्राप्त करने तथा उनकी सेवा समाप्त कर वेतन राशि की वसूली किए जाने के संबंध में श्री सोधवा यादव से प्राप्त परिवाद ।	15.06.2011	श्री शिवराज यादव, प्रशाखा चपरासी, सेन्हा, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा को सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जाने से संबंधित प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, कार्य अंचल राँची से प्राप्त होने के पश्चात् परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
6.	02/लोक(ग्रा०अ०सं०) 02/2009	ग्राम अभियंत्रण संगठन में पूर्ववर्ती बिहार राज्य में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित/प्राधिकृत करने के संबंध में ई०	9.5.2011	प्रधान सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची को समुचित कार्रवाई हेतु अग्रसारित करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।

		सुरेश प्रसाद सिंहा से प्राप्त परिवाद।		
7.	02/लोक (ग्रा.वि.वि.) 04/2009	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमण्डल रांची के द्वारा रांची जिला के बाहर कार्य किये जाने के संबंध में।	20.6.11	उपसचिव, ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन, मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र रांची, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल रांची एवं अधीक्षक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात एवं सुनने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
8.	01/लोक (ग्रा.वि.) 09/2006	सरायकेला-खरसावा जिलान्तर्गत प्रखण्ड-नीमडीह, ग्राम- ओटोसिमूल में रास्ता ग्रेड-1 के निर्माण में अनियमितता से संबंधित श्री देवव्रत सिंह एवं अन्य द्वारा प्राप्त परिवाद।	28.7.2011	शिकायतकर्ता द्वारा कई स्मार के बावजूद शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र नहीं दिए जाने अपने शिकायत के संबंध में इच्छुक नहीं रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
9.	02/लोक(ग्रा0वि)07/2009	उपायुक्त -सह -अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाकुड़ द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	19.09.2011	परिवादी को संबंधित विभाग से राशि का भुगतान करवाया गया।
10.	01/लोक(ग्रा0 वि)12/2006	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पोड़ैयाहाट द्वारा इन्दिरा आवास योजना में अनियमितता संबंधी श्रीमती उमा देवी का परिवाद।	25.08.2011	परिवादीनी को इन्दिरा आवास का आवंटन करवाया गया।
11.	02/लोक(ग्रा0वि)04/2008	स्व0 छेदी प्रसाद गुप्ता भू0पू0 पत्राचार लिपिक के मृत्यु उपरान्त सभी देय लाभ का भुगतान एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।	01.08.2011	माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राँची में लंबित कन्टेम्पट वाद 188/2009 के आलोक में पोषणीय नहीं होने के कारण परिवाद खारिज किया गया।
12.	01/लोक(ग्रा0वि)10/2011	योजना सं. 1/2009-10 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0 80 के दाग नं0-1646 पर भूमि समतलीकरण में अनियमितता, भ्रष्टाचार, घोटाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में।	13.12.2011	परिवादी द्वारा जिला लिगल सर्विसेस ऑथरिटी गोडडा में परिवाद दायर करने तथा वहां से केस वापस लेने के कारण संचिकास्त होने तथा पुनः लोकायुक्त कार्यालय में परिवाद करने के कारण लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा (8)(b) के प्रावधान के तहत संचिकास्त।

खाद्य आपूर्ति विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक (खाद्य आपूर्ति) 03/11	दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई एवं अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में श्रीमती सुनरपति देवी का शिकायत।	26.4.2011	शिकायतकर्ता द्वारा विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन द्वारा पारित आदेश के आलोक में मामले से संबंधित परिवाद वापस लिए जाने के अनुरोध पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
2.	01/लोक (खाद्य आपूर्ति) 01/2009	अनुमण्डल पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता एवं मो. मंसुर आलम सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	02.06.2011	परिवादी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर परिवाद

		बेरमो द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जन वितरण प्रणाली के डीलरों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित श्री अशोक अग्रवाल आजाद, तुपकाडीह बोकारो का परिवाद।		पोषणीय नहीं पाया गया।
--	--	--	--	-----------------------

कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक (कृषि) 15/2005	मोसमात बीबी हदीशा, पत्नी स्व० शेख रहमान भूतपूर्व यांत्रिक सह चालक, उपनिदेशक, भूमि संरक्षण कार्यालय, हजारीबाग के पेंशन, उपादान, भविष्य निधि के अंतिम भुगतान से संबंधित परिवाद।	12.7.2011	परिवादी द्वारा भविष्य निधि से संबंधित भुगतान पर सहमति दिया गया। उपनिदेशक, भूमि संरक्षण अनुसंधान विभाग, हजारीबाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात एवं परिवादी के वकील को सुनने के पश्चात् परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
2.	02/लोक(कृषि)07/2011	श्री भगवान चौधरी सेवानिवृत्त निरीक्षक माप एवं तौल हजारीबाग को सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु लोकायुक्त का कार्यालय बिहार पटना से स्थानान्तरित होकर इस कार्यालय को प्राप्त शिकायत।	23.9.2011	परिवाद न्यायालय में लम्बित रहने के कारण संचिकास्त।
3.	02/लोक(कृषि)19/2011	ए० सी० पी० का लाभ उपरान्त 09.08.1999 से 14.11.2000 तक का बकाया वेतन आदि भुगतान नहीं होने के संबंध में रामेश्वर चौधरी की शिकायत।	15.12.2011	भूमि संरक्षण निदेशालय से प्राप्त जांच रिपोर्ट जिसमें सरकार के पत्रांक 5207 दिनांक 14.08.2002 के आलोक में राज्य पुर्नगठन के पूर्व का बकाया राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं है के कारण संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।

विद्युत विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विद्युत)01/2008	श्री नवल किशोर, कनीय विद्युत अभियन्ता, टी०टी०पी०एस० ललपनिया से प्राप्त शिकायत वाद के संबंध में।	06.06.2011	परिवादी को सभी देय पावनाओं का भुगतान दिलवाया गया।
2.	02/लोक(विद्युत)01/2009	श्री रामपुनित चौधरी धनबाद द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता हीरापुर धनबाद के विरुद्ध दायर परिवाद	01.06.2011	दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
3.	02/लोक(विद्युत)03/2007	श्री अखिलेश सिंह एवं अन्य ग्राम-चुन्द राँची से प्राप्त परिवाद पत्र से संबंधित संचिका।	23.9.2011	

4.	02/लोक(विद्युत)24/2005	श्री ईश्वरी कुमार सिन्हा, से0नि0 सहायक विद्युत अभियन्ता, शास्त्री नगर गिरीडीह का वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ी हुई राशि के भुगतान के संबंध में।	23.08.2011	परिवादी को सभी देय पावनाओं का भुगतान दिलवाया गया।
----	------------------------	---	------------	---

आपदा प्रबंधन विभाग

क्र. सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक (आपदा) 01/2007	मो० मुरारी देवी का आवास बाढ़ से ध्वस्त होने के उपरांत इंदिरा आवास आवंटित कराने से संबंधित।	28.6.2011	उपविकास आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा द्वारा परिवादी को इंदिरा आवास उपलब्ध करा दिये जाने की सूचना के उपरांत परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

क्र. सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक (उत्पाद)03/07	दुमका प्रमण्डल के उपायुक्त उत्पाद श्री बिहारी प्रसाद के भ्रष्ट आचरण के संबंध में।	10.05.2011	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन कई स्मार के बावजूद शपथ पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं शिकायत के संबंध में रूचि नहीं लिए जाने के फलस्वरूप अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
2.	02/लोक(उत्पाद)04/2011	श्री रामेश्वर दुबे सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही दुमका के बकाए राशि के भुगतान के संबंध में।	24.08.2011	परिवादी को विषयक संदर्भ में बकाया राशि का भुगतान दिलाया गया।
3.	02/लोक(उत्पाद)03/2011	शाहजहाँ बेगम, पति स्व० नूर मोहम्मद, उत्पाद सिपाही चाईबासा को मृत्योपरांत देय राशि के भुगतान के संबंध में।	12.07.2011	परिवाद के निपटारा के लिए संबंधित विभाग द्वारा उचित कार्रवाई करने कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई।
4.	01/लोक(उत्पाद)01/2006	श्री उपेन्द्र नारायण सिंह निरीक्षक देवघर के विरुद्ध श्री ब्रजमोहन सिंह द्वारा प्रेषित परिवाद पत्र।	09.05.2011	परिवादी को सभी प्रकार के राहत मिलने के पाश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
5.	02/लोक(उत्पाद)01/2011	श्री रामेश्वर बैठा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलने के संबंध में।	8.12.2011	परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल करने तथा केस वापसी की लिखित

				याचना करने के बाद संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
6.	02/लोक(उत्पाद)05/2011	धुर्जटी प्रसाद सिंह बनाम उत्पाद विभाग उत्पाद सिपाही सम्बर्ग आयुक्त उत्पाद झारखण्ड स्तर से प्रदत्त सुनिश्चित वृत्तिउन्नयन की सम्पुष्टि में उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में ।	30.12.2011	परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल करने तथा केस वापसी की लिखित याचना करने के बाद संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
7.	02/लोक(उत्पाद)06/2011	उमीद अहमद खॉ सेवा निवृत्त उत्पाद सिपाही । उत्पाद सिपाही सम्बर्ग आयुक्त उत्पाद झारखण्ड स्तर से प्रदत्त सुनिश्चित वृत्तिउन्नयन की सम्पुष्टि में उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में ।	30.12.2011	परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल करने तथा केस वापसी की लिखित याचना करने के बाद संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
8.	02/लोक(उत्पाद)07/2011	रामा नंदन प्रसाद लाल बनाम आयुक्त उत्पाद झारखण्ड राँची । रामा नंदन प्रसाद लाल सेवा निवृत्त उत्पाद सिपाही को पेंशन आदि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	30.12.2011	परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल करना चाहते हैं । केस वापसी की लिखित याचना करने के बाद संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
9.	02/लोक(उत्पाद)02/2011	श्री किस्टो प्रसाद उत्पाद सिपाही के पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलने के संबंध में ।	29.12.2011	परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल करने तथा केस वापसी की लिखित याचना करने के बाद संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।

वित्त विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वित्त) 04/11	श्री अवधेश कुमार सेवानिवृत्त वरीय अंकेक्षक (2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग, संथाल परगना प्रमण्डल, देवघर द्वारा पेंशन, उपादान स्वीकृत नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद ।	30.7.2011	मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन एवं परिवादी से प्राप्त मंतव्य जिसमें पेंशन स्वीकृति, औपबंधिक पेंशन एवं उपादान की राशि प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
2.	02/लोक(वित्त) 02/11	श्री कामेश्वर प्रसाद, 305, मृणालिनी अपार्टमेंट साउथ ऑफिस पाड़ा डोरण्डा द्वारा वित्त (अंकेक्षण) विभाग झारखण्ड सरकार के विरुद्ध कुप्रशासन का शिकायत ।	15.09.2011	वित्त विभाग के जांच प्रतिवेदन तथा दोनो पक्षों को सुनने के बाद संचिका बंद की दी गई।

खनन एवं भूतत्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(खान)183/2006	श्री शिव शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक खान प्रबंधक का सेवा निवृत्ति लाभ नहीं मिलने के संबंध में।	05.05.2011	परिवादी को सेवानिवृत्ति लाभ दिलाया गया।
2.	02/लोक(खान)241/2005	श्री ज्ञानी प्र० भगत, सेवानिवृत्त सहायक खनन पदाधिकारी, गुमला का लंबित कालबद्ध प्रोन्नति एवं एसीपी के बकाया के भुगतान के संबंध में।	16.08.2011	परिवादी को विषयक संदर्भ में बकाया का भुगतान दिलाया गया।

वाणिज्यकर विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वाणिज्यकर) 01/11	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त पदचर, वाणिज्यकर उपायुक्त, झरिया अंचल, धनबाद द्वारा उपादान की राशि, बकाया वेतनादि एवं पेंशन निर्धारण में हो रहे विलंब से संबंधित परिवाद।	22.7.2011	श्री प्रसाद को सेवानिवृत्त देय सभी पावनाओं का भुगतान एवं पेंशन की स्वीकृति दिलाया गया।
2.	01/लोक(वि.वा. कर)33/2005	श्री राम गोविन्द तिवारी वाणिज्यकर पदाधिकारी कतरास अंचल धनबाद के द्वारा भ्रष्टाचार के सीमाओं को पार करते हुए एवं गारगिल युद्ध एवं उडिसा तुफान के नाम पर राशि गबन के संबंध में।	03.09.2011	सहायक आयुक्त वाणिज्यकर कतरास प्रमंडल के जांच प्रतिवेदन के आधार पर परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप निर्धार पाये जाने के कारण मामले पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
3.	02/लोक(वा०कर) 02/11	वाणिज्यकर विभाग द्वारा एस० टी० पी० के अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करने पर श्री जनक राम से प्राप्त शिकायत।	10.12.2011	शिकायत कर्ता को एस० टी० पी० के अनुज्ञप्ति निर्गत कराया गया।

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(समाज कल्याण) 12/11	श्री संजय कुमार ठाकुर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चाईबासा के सेवाकाल में अवैध कार्यों एवं काली करतूतों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत।	10.6.2011	प्राप्त शिकायत सचिव, समाज कल्याण विभाग को संबोधित रहने के कारण सचिव, कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार को समुचित कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
2.	01/लोक(स० क०)08/11	आंगनबाड़ी केन्द्र पंजनिया प्रखण्ड जामताड़ा जिला-जामताड़ा में सेविका चयन अवैद्य ढंग से होने के संबंध में जनहित अभ्यावेदन।	23.9.2011	समाहरणालय जामताड़ा के द्वारा जांचोपरान्त पंजनिया प्रखण्ड में सेविका एवं सहायिका का चयन वैध पाये जाने के कारण संबंधित मामले पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।

कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कल्याण) 02/06	बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अधीन सिमरिया कल्याण विभाग परियोजना के कर्मचारी श्री उपेन्द्र प्रसाद का बकाया वेतन भुगतान से संबंधित परिवाद।	10.6.2011	अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मामला बिहार राज्य से संबंधित रहने के कारण परिवाद लोकायुक्त कार्यालय, बिहार को अग्रसारित किया गया।
2.	01/लोक(कल्याण)13/11	श्री सुमेश्वर प्रसाद गुप्ता, सहायक शिक्षक अनु० ज०जा० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय गोपीकान्दर दुमका की अवैद्य नियुक्ति की सम्पुष्टि विशिष्ट पदाधिकारी द्वारा किये जाने के संबंध में।	09.8.2011	
3.	01/लोक(कल्याण)02/06	श्री झींगा लकड़ा ततकालीन जिला कल्याण पदाधिकारी नवादा के विरुद्ध बिहार लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1)(क) के अन्तर्गत निर्गत प्रतिवेदन।	23.9.2011	परिवाद बिहार राज्य से संबंधित है तथा उक्त लोक सेवक 31.10.2008 को ही सेवानिवृत्त हो चुका है अतः इस दश में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है।
4.	02/लोक(कल्याण)06/2008	श्री जुलियस एक्का वल्ड स्व० पास्कल एक्का ग्राम-सरगांव पो०-कैम्बो, थाना-माण्डर जिला राँची का जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन समय सीमा के अन्तर्गत नहीं भेजने के कारण चयन रद्द किये जाने के संबंध में।	01.8.2011	परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई समाप्त कर दिया गया।
5.	02/लोक(कल्याण)05/2009	सी० डी० पी० ओ० देवघर द्वारा ग्राम चान्दपुर जसीडीह (देवघर) केन्द्र सं०-2 के आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति में अनियमितता बरतने तथा नाजायज रशि लेकर नियुक्ति करने के संबंध में।	12.9.2011	
6.	01/लोक(कल्याण)01/11	श्री वंशीधर दूबे,से०नि० प्रधानाध्यापक, आवासीय गर्ल्स हाई स्कूल चापाटोली, गुमला का सेवानिवृत्ति एवं पेंशनादि के भुगतान के संबंध में	06.6.2011	जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला को विषयक संदर्भ में बकाया राशि के भुगतान के उपरांत अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश जारी।
7.	02/लोक(कल्याण) /07	अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्व० पवन कुमार के आश्रित श्री संतोष कुमार गुप्ता का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में।	7.10.2011	अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्व० पवन कुमार गुप्ता की नियुक्ति नियमित नहीं रहने के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकता है। अतः संचिका पर गली कार्रवाई बन्द कर दिया गया।

पर्यटन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पर्यटन)01/11	द- टेलीग्राफ राँची में दिनांक 15.06.2011 को हटिया डैम के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में।	30.11.11	सचिव पर्यटन विभाग के जांच रिपोर्ट के आधार पर तथा जांच कमिटी लोकायुक्त कार्यालय के रिपोर्ट के आधार पर संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दी गई।

परिवहन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(परिवहन) 01/11	श्री जनेश्वर शर्मा, पूर्व लेखापाल, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राँची प्रमण्डल राँची को सेवा समाप्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सूद सहित कराने से संबंधित शिकायत।	28.6.2011	प्रमण्डलीय प्रबंधक, परिवहन विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद अग्रतर कार्रवाई हेतु लोकायुक्त बिहार को अग्रसारित किया गया।

पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पथ नि० वि०) 02/2007	श्री शंकर चौधरी, पत्राचार लिपिक, पथ निर्माण, वि०, पथ प्रमण्डल हजारीबाग द्वारा प्रोन्नति, ए० सी० पी० का लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित परिवाद।	26.07.2011	परिवादी को प्रोन्नति एवं ए० सी० पी० का लाभ दिलाया गया।
2.	02/लोक (पथ) 02/2009	श्री सोबराती मिया, सेवानिवृत्त पथ श्रमिक पथ प्रमण्डल कोडरमा का सेवापुस्त, सेवा सम्पुष्टि उपरांत नहीं लौटाने के संबंध में प्राप्त परिवाद।	28.7.2011	परिवादी को सभी सेवान्त लाभों यथा, सामान्य भविष्य निधि का भुगतान, ग्रुप बीमा, अव्यवृहत् उपार्जित अवकाश, उपादान एवं अंतिम पेंशन का निर्धारण कर दिये जाने के पश्चात् परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
3.	02/लोक(पथ) 01/2006	स्व० चन्द्रशेखर पाण्डेय सेवानिवृत्त कनीय अभियंता पथ प्रमण्डल कोडरमा का बकाया वेतन एवं पेंशन आदि के	17.09.2011	परिवादी को बकाया वेतन एवं पेंशन आदि का भुगतान दिलाया गया।

		भुगतान के संबंध में ।		
4.	02/लोक(पथनि0)05/2008	शमीम अहमद सेवा निवृत्त शोध सहायक (महमुद मंजिल) चन्दवारा (मुजफ्फरपुर) का ए0सी0पी0 लाभ नहीं देने के संबंध में।	05.09.2011	परिवादी को ए0सी0पी0 का लाभ दिलवाया गया ।
5.	02/लोक(पथ) 02/2011	अनुचित आरोप के अधार पर विभागीय कार्यवाही चालाने अवांछनीय रूप से विभागीय कार्यवाही को लम्बित रखने तथा सेवा तथा सेवा निवृत्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	8.11.2011	परिवादी द्वारा केस वापसी के लिखित याचना के बाद परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(जल सं०) 01/08	श्रीमती रेखा देवी विधवा स्व० गोपाल कृष्ण पाण्डेय, भूतपूर्व आदेशपाल, लघु सिंचाई अनुमण्डल, मधुपुर प्रमण्डल देवघर का कार्यावधि दिनांक 1.12.98 से 18.12.98 का लंबित वेतनादि का भुगतान करने से संबंधित परिवाद ।	23.7.2011	परिवादिनी को कार्यावधि अवधि का भुगतान दिलवाया गया ।
2.	02/लोक(जल सं०) 01/09	श्री दुर्गा प्रसाद, सहायक अभियंता, सेवानिवृत्त हो नं०-82, कालिन्दी बस्ती, न्यू उलीडीह, पो०-मानगो को ए० सी० पी० का लाभ नहीं दिये जाने से संबंधित परिवाद ।	28.7.2011	परिवादी को द्वितीय ए० सी० पी० की सम्पुष्टि दिलाते हुए देय पावनाओं का भुगतान दिलाया गया ।
3.	02/लोक(जल.सं०) 11/2009	स्व० योगेन्द्र पासवान, अनुसेवक को कार्यपालक अभियंता पुनासी स्पीलवे प्रमंडल पुनासी द्वारा 33 वर्षों से पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं करने के संबंध में	19.08.2011	परिवादिनी द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय में परिवाद के लम्बित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(जल सं०) 12/2009	श्री हाकिम चन्द्र राम, सेवा निवृत्त प्रधान सहायक, एसपीयू जमशेदपुर का बकाया राशि का भुगतान के संबंध में परिवाद ।	11.10.2011	परिवादी को सेवानिवृत्ति लाभ दिलाया गया।
5.	02/लोक(जल सं०) 13/2009	श्री आनंद बिहारी लाल, सेवा निवृत्त लिपिक गंगा पम्प नहर प्रमंडल साहेबगंज का प्रथम एवं द्वितीय एसीपी का लाभ नहीं मिलने के संबंध में परिवाद ।	10.10.2011	परिवादी को एसीपी का लाभ दिलाया गया।
6.	02/लोक(जल सं०)01/2011	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना सं०-903 दिनांक 10.03.2006 एवं प्रशासक कार्यालय सुवर्ण रेखा परियोजना युनिट आदित्यपुर के वेतन निर्धारण संबंधी उनके कार्यालय आवेदन सं०-838 दिनांक 20.06.2006 के क्रियान्वयनमें	09.12.2011	विभागीय जांच प्रतिवेदन जिसमें श्री सिंह को सभी देय पावनाओं का भुतान कर दिया गया का वर्णन है के आधार पर परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।

	विभागीय अधेरगर्दी एवं अपराधिक विलम्ब के संबंध में श्री रामाधार सिंह का शिकायत ।	
--	---	--

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पेय एवं स्व० वि०) 01/2007	श्री एस० मुमताज अहमद बनाम मनोज सिंह एवं मुख्य अभियंता (मुख्यालय) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित परिवाद ।	15.07.2011	परिवादी द्वारा इसी तरह के मामले से संबंधित रिट माननीय उच्च न्यायालय में दायर करने एवं वहाँ से रिलिफ मिलने की सूचना दिए जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(स्वा०) 67/2005	श्री अयोध्या प्रसाद वर्णवाल द्वारा डाक्टर दिनेश कुमार एवं डा० मणीभुषण प्रसाद सिंह द्वारा ईलाज में लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु होने से संबंधित शिकायत ।	25.5.2011	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा मामले का निष्पादन हो जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
2.	02/लोक (स्वा०) 40/2005	डा० बिस्मिल्लाह खातून, से०नि० चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, चंदवा, जिला- गढ़वा का पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा आदि के भुगतान के संबंध में ।	15.6.2011	डा० खातून को देय सभी सेवान्त लाभों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान दिलाया गया ।
3.	01/लोक (स्वा०) 03/2007	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, लोक विश्लेषक राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला नामकुम रांची की सम्प्रति विवरणी का सत्यापन से संबंधित परिवाद ।		
4.	02/लोक (स्वा०)127/2005	ओम प्रकाश विश्वकर्मा, पिता स्व० मुनीलाल मिस्त्री का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एवं बकाये राशि के भुगतान के संबंध में ।	25.08.2011	नियुक्ति प्रक्रिया को छोड़कर विषयक संदर्भ में परिवादी को अन्य बकाया राशि का भुगतान किया गया ।
5.	02/लोक (स्वा०)02/2011	श्री जगदीश कुमार द्वारा जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी देवघर के खिलाफ अनुसूचित जाति समझकर मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करने के संबंध में	12.11.2011	परिवादी ने शपथ पत्र दाखिल करके अपना शिकायत पत्र वापस लिया ।
6.	02/लोक(स्वा०)06/2011	श्री चमन चौधरी लिपिक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय साहेबगंज की अवैद्य नियुक्ति एवं अवैद्य प्रोन्नति(पद रूपान्तरण)के संबंध के श्री जवाहर खाँ से प्राप्त शिकायत ।	29.11.2011	परिवादी द्वारा शिकायत वापसी के याचना के पाश्चात परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दी गई ।

7.	02/लोक(स्वा0)15/2009	श्री परेश चन्द्र महतो की सेवा पुस्तिका महालेखाकार को नहीं भेजने के संबंध में ।	02.01.2012	परिवादी को सेवानिवृत्त का लाभ दिलाया गया । संबंधित विभाग द्वारा पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति हेतु सेवा पुस्त सम्पुष्टि के लिए सक्षम स्तर पर भेजा गया है ।
8.	02/लोक(स्वा0)07/2009	श्रीमती शानतीलता मराण्डी विधवा स्व0 निवास प्रसाद सिंहा भूत पूर्व लिपिक प्रा0 स्वा0 केन्द्र मोहनपुर का परिवारिक पेंशन तथा अन्य देय राशि का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मोहन पुर द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में ।	03.01.2012	संबंधित विभाग द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की मांग की गई है जिसे परिवादी द्वारा समय पर जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा परिवाद का निष्पादन कर दिया जाएगा ।

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(सहकारिता) 67/2005	जिला सहकारिता पदाधिकारी, धनबाद/सहायक निबंधक चास बोकारो के विरुद्ध 30,000/-रु0 घुस मांगे जाने एवं नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रताड़ित करने के संबंध में ।	28.04.2011	परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में कई स्मार के बावजूद शपथ पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी ।
2.	01/लोक(सहकारिता)05/2011	श्री नौनिहाल आलम सेवा निवृत्त वरीय सांख्यिकी सहायक सहकारिता विभाग झारखण्ड राँची के ए० सी० पी० के बकाए राशि के भुगतान के संबंध में ।	15.12.2011	परिवादी को ए०सी०पी का लाभ दिलाने तथा पेंशन का निर्धारण कराने के बाद परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पशु)01/2011	डॉ० बिन्देश्वरी चौधरी, तत्कालिन क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन संथालपरगना प्रमंडल दुमका के विरुद्ध दर्ज परिवाद की अद्यतन जानकारी के संबंध में ।	08.08.2011	डॉ० बिन्देश्वरी चौधरी, तत्कालिन क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन संथालपरगना प्रमंडल दुमका के विरुद्ध दर्ज परिवाद 01/लोक(पशु)148/2005 बन्द किया जा चुका है ।
2.	02/लोक(मत्स्य)03/06	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन(ए.सी.पी.) से प्राप्त लाभ का वेतन निर्धारण करते हुए पेंशन निर्धारण एवं जुलाई 2004 से देय महंगाई भत्ता का भुगतान के संबंध में ।	03.09.2011	जिला मत्स्य पदाधिकारी देवघर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार परिवादी को 15.11.2000 के पुर्व का बकाया अनुमान्य नहीं रहने के कारण संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(मत्स्य)02/2011	श्री कमला चौधरी मुख्य संरक्षक झारखण्ड राज्य मत्स्य कर्मचारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी हजारीबाग एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी कोडरमा के विरुद्ध शिकायत ।	26.09.2011	

01/लोक(मत्स्य)01/2011	जातिगत आधार पर मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक श्रीमती निली सिंहा को अनुचित लाभ पहुँचाने के कुत्सित प्रयास से संबंधित लगाये गये आरोपो की निष्पक्ष जांच कर कारवाई करने के संबंध में।	10.09.2011	संबंधित विभाग द्वारा जांचोपरान्त संबंधित पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करते हुए अन्यत्र पदस्थापन कर दिया गया ।
-----------------------	--	------------	--

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.				

योजना एवं विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(यो० वि०)02/09	झाराखण्ड सरकार के कोर विभाग योजना एवं विकास विभाग में वयाप्त आरजकता तथा सरकारी नियमो का उल्लंघन करने के संबंध में	06.09.2011	

उद्योग विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(उद्योग)02/2011	स्व० दशकन विरूवा भुतपूर्व परियोजना प्रबंधक के सेवाकाल के दौरान मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित को अनुकम्पा आधारित नौकरी व अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने की अशोक विरूवा की शिकायत	20.09.2011	परिवादी को भविष्य निधि , समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण, पेंशन /उपादन एवं पुनरीक्षीत वेतनमान का बकाया राशि का भुगतान करा दिया गया है।

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(श्र०नि०प्र०)/01/2010	श्री रामचन्द्र प्रसाद चौरसिया, से०नि० शिक्षक, आईटीआई धनबाद के पेंशन एवं सेवांत लाभ के संबंध में	27.10.2011	परिवादी को विषयक संदर्भ में भुगतान दिलवाया गया।
2.	02/लोक(श्र०नि०प्र०)/02/2011	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ धनबाद के अध्यक्ष एवं महामंत्री कमशः मो० इजराईल अंसारी, ललन चौबे एवं दोषी सहायक श्री जागो चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के संबंध में।	27.10.2011	माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा निष्पादित याचिका WP(L)4377/2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संचिकास्त किया गया।
3.	02/लोक(श्र०नि०प्र०)/03/2007	श्री रामअवतार सिंह श्रम अधीक्षक सरायकेला के विरुद्ध दिनेश कुमार किनु अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ प्रमुख झारखण्ड का शिकायत पत्र।	14.11.2011	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के उप सचिव से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में एवं परिवादी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिका बन्द कर दिया गया।

विधि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विधि)01/2011	किरण देवी पति स्व० रवीन्द्र प्रसाद से०नि० कर्मचारी व्यवहार न्यायालय गिरीडीह का सेवांत लाभ नहीं मिलने के संबंध में	05.09.2011	परिवादी व्यवहार न्यायालय, गिरीडीह से सेवानिवृत्त कर्मचारी है जो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत नहीं आता है अतः इनके शिकायत को अग्रतर कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राँची को अग्रसारित किया गया है।
2.	02/लोक(विधि)02/2011	मो० नईम खॉ, सेवा निवृत्त चालक कोल्डीहा गिरीडीह के वेतन निर्धारण एवं एसीपी का वित्तीय लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में।	07.10.2011	परिवादी व्यवहार न्यायालय, गिरीडीह से सेवानिवृत्त कर्मचारी है जो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत नहीं आता है अतः इनके शिकायत को अग्रतर कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राँची को अग्रसारित किया गया है।
3.	02/लोक(विधि)01/2009	पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक जाति के अधिवक्ताओं के साथ भेद भावकरने के संबंध में।	01.12.2011	शपथ पत्र समर्पित करने के लिए कई स्मार पत्र देने के बाद भी शपथ पत्र समर्पित नहीं करने के कारण परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(कार्मिक) 2/2007	श्री गीता राम, भूतपूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता, खगड़िया, सम्प्रति जिला उपसमाहर्ता पलामू के विरुद्ध बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (3) के अन्तर्गत अनुशंसा के अनुपालन के संदर्भ में	12.01.2011	झारखंड सरकार द्वारा विषयक संदर्भ में कृत कार्यवाही प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण बिहार के माननीय लोकायुक्त को सीधे झारखंड सरकार से पत्राचार हेतु अनुरोध किया गया।
2.	01/लोक(कार्मिक) 1/2011	झारखंड राज्य में 85वीं संविधान संशोधन लागू नहीं करने के संबंध में मा० बाबूजी सोरेन से प्राप्त शिकायत	08.06.2011	मुख्यमंत्री सचिवालय को अग्रतर कार्यवाही हेतु परिवाद अग्रसारित किया गया।

शिकायत / परिवाद

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत संख्या-66/2010	मो० राजन वरीय यान चालकए पर्यटन विकास निगम के वेतन निर्धारण में त्रुटि के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	09.05.2011	सरकारी सेवा में कार्यरत रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग को अग्रसारित किया गया।
2.	शिकायत सं०-76/2011	श्री टेकलाल महतो, ग्राम-नुरा, पो०+जिला- हजारीबाग द्वारा भूमाफियाओं एवं पदाधिकारी की मिलीभगत से फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज किए जाने से संबंधित शिकायत के संबंध में।	23.5.2011	तुच्छ प्रवृत्ति का शिकायत होने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
3.	शिकायत सं०-102/2011	रेल पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर का ज्ञापांक 974 दिनांक 7.12.2006 के पारित आदेश की जांच के संबंध में श्री रामबालक राम से प्राप्त शिकायत	26.05.2011	अन्वेषण हेतु पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
4.	शिकायत सं०-174/2011	मुन्नी देवी, सेक्टर-12ई मेंहदी टेलर बोकारो पर उचित कार्रवाई करने एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक, बोकारो द्वारा की जा रही कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के संबंध में श्रीमती	26.05.2011	शिकायत दो परिवारों के बीच का मामला होने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।

		कैली देवी की शिकायत		
5.	शिकायत सं0-41/2010	श्री जनार्दन पासवान, केऔसुब इकाई, सी.सी.एल. करकली बेरमो, बोकारो द्वारा डाक विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायत।	07.05.2011	प्राप्त शिकायत डाक विभाग से संबंधित रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया एवं शिकायत की प्रति संबंधित डाक अधीक्षक को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
6.	शिकायत सं0-162/11	नया राशन कार्ड बनाने में त्रुटि रहने के कारण श्री लालू प्रसाद जिला- साहेबगंज से प्राप्त शिकायत	25.7.2011	सरकार के उपसचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें मामले से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहने की सूचना के आलोक में अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
7.	शिकायत सं0-233/2011	अवैध रूप से पैतृक जगह एवं गुमटी का ताला तोड़कर दखल करने संबंधी आवेदन पर जसीडीह थाना द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंधी में श्री अशोक कुमार बरनवाल से प्राप्त शिकायत।	28.05.2011	पर्याप्त आधार नहीं रहने के कारण शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
8.	शिकायत सं0-254/11	श्री दशरथ साव, पारा शिक्षक, रा0 प्राथमिक विद्यालय, पकरी, बरवाडीह, प्रखण्ड-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के विरुद्ध श्री रवि किशोर कुमार का शिकायत।	14.6.2011	लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
9.	शिकायत संख्या-71/2011	चतरा नगर पंचायत के वार्ड सदस्यों श्रीमती शाहिन परवीन एवं अन्य द्वारा स्लम बस्ती में आवास कार्य की प्रक्रिया में हेरा फेरी करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	25.07.2011	सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्लैट योजना में अनियमितताओं के निराकरण से संबंधित जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई किए जाने के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
10.	शिकायत सं0-122/2011	श्री रमेश टुडू पिता-स्व0 शंभू टुडू हिरापुर धनबाद द्वारा धनबाद सहित पुरे झारखण्ड राज्य में अवैध एवं अनाधिकार निर्णय कार्यों को रोकने के संबंध में।	23.05.2011	अग्रतर कार्रवाई हेतु सचिव, नगर विकास विभाग को अग्रसारित किया गया।
11.	शिकायत संख्या-09/2011	श्री परशुराम राय सेवानिवृत्त कार्यपालक दण्डाधिकारी धनबाद द्वारा पेंशन एवं उपादान की राशि भुगतान में हो रहे विलम्ब से संबंधित शिकायत।	22.07.2011	महालेखाकार झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री राय का पेंशन की स्वीकृति एवं उपादान की राशि का भुगतान से संबंधित प्राधिकार निर्गत कराया गया।
12.	शिकायत संख्या-70/2010	मो0 तारादेवी फरदा मुंगेर द्वारा सेवान्त लाभ एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।	09.05.2011	प्राप्त शिकायत लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर (बी0 सी0 सी0 एल0 से संबंधित होने के कारण) प्रबंध निदेशक, बी0 सी0 सी0 एल0 धनबाद को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
13.	शिकायत सं0- 83/2011 एवं 74/2011	श्रीमती गौरी देवी पति- विश्वनाथ साह (लापता) के पारिवारिक पेंशन/उपादान की राशि का भुगतान से संबंधित शिकायत।	6.6.2011	संबंधित शिकायत डाक विभाग के कर्मचारी के रहने के कारण प्रधान डाक अधीक्षक, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
14.	शिकायत सं0-137/11	श्री अशोक कुमार उरांव, सामलौंग रांची द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में फैले कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार के संबंधित शिकायत।	31.5.2011	माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित रहने के कारण प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
15.	शिकायत सं0-204/2011	श्री अगस्ती प्रधान एवं अन्य कैदियों मंडलकारा चाईबासा द्वारा	6.6.2011	लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के

		जिला जज चाईबासा द्वारा समय पर सुनवाई नहीं किए जाने के कारण समय पर जमानत नहीं होने से संबंधित शिकायत।		कारण अग्रतर कार्रवाई हेतु महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय को अग्रसारित किया गया।
16.	शिकायत सं0-126/11	मो0 रमजान, ग्राम बासोडीह जिला-कोडरमा द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं होने से संबंधित शिकायत।	6.6.2011	शिकायत सहायक भविष्य निधि आयुक्त, पेंशन, क्षेत्रीय कार्यालय, करमटोली रांची को संबोधित रहने एवं अन्य त्रुटि पाये जाने के कारण उन्हें अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
17.	शिकायत सं0-217/11	बेटे को रांची पुलिस द्वारा झुठे आपराधिक मुकदमें में फंसाने से संबंधित श्री अशोक कुमार सिंह से प्राप्त शिकायत।	30.5.2011	शिकायतकर्ता से संबंधित शिकायत सी0 जी0 एम0 रांची द्वारा संज्ञान लिये जाने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
18.	शिकायत सं0-197/11	श्री रवि खलखो एवं जमीन दलाल नाजम अंसारी के विरुद्ध श्री दिलीप खलखो ग्रा0+पो0-माण्डर, जिला, रांची से प्राप्त शिकायत।	30.5.2011	लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
19.	शिकायत सं0-53/2011	श्री एस. पी. सिंह तदर्थ कार्यपालक अभियंता द्वारा गलत तरीके से कार्यप्रमण्डल गढ़वा का प्रभारी कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्य करने के संबंध में ई0 लालू टोप्पो से प्राप्त शिकायत।	21.5.2011	शिकायत सीधे माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने एवं संबंधित शिकायत माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची का अवमानना से संबंधित होने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
20.	शिकायत सं0-64/11	श्री रामेश्वर प्रसाद, अवर निरीक्षक के विरुद्ध श्री बी0 बी0 पालित का आरोप।	30.5.2011	शिकायत से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लंबित रहने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
21.	शिकायत सं0-23/2010	समेकित बाल विकास परियोजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र उत्तीमटांड, गिरिडीह सदर केन्द्र में आंगनबाड़ी सेविका चयन के संबंध में सुष्मिता कुमारी से प्राप्त शिकायत।	28.5.2011	शिकायत की छायाप्रति जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह को भेजते हुए शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
22.	शिकायत सं0-94/2010	चतरा जिला अन्तर्गत ग्राम-चकला में मनरेगा के तहत विवादित भूमि पर राजीव गांधी सचिवालय का निर्माण के संबंध में श्री श्यामाचरण सिंह का शिकायत पत्र।	28.5.2011	शिकायत से संबंधित सिविल वाद सब जज चतरा के न्यायालय में लंबित रहने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया एवं अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
23.	शिकायत सं0-286/11	भवन निर्माण विभाग, प्रमण्डल सं0-1 रांची के कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य संपन्न होने के बावजूद भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	25.7.2011	शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित शिकायत अनुतोष हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पूर्व से दायर किए जाने के फलस्वरूप अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
24.	शिकायत सं0-138/11	श्रीमती सुगिया लोहरा, पति-स्व0 आनन्द लोहरा, ग्राम- चैन्ने, पो0- राजाउलातू नामकुम रांची से प्राप्त शिकायत।	6.6.2011	शिकायतकर्ता को अन्य उपचार प्राप्त रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
25.	शिकायत सं0- 67/2010	कार्यवाहक अध्यक्ष, नगर पर्वद चतरा द्वारा प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोप के संबंध में।	21.4.2011	पोषणीय नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई स्थगित किया गया।
26.	शिकायत सं0- 17/2010	श्री महेश मिश्रा, सर्किल इन्स्पेक्टर सह कानूनगो संघ झारखण्ड द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गलत नीति के आधार पर कार्य करने से संबंधित शिकायत।	09.05.2011	शिकायत महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित होने के कारण, प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय को अग्रसारित किया गया।
27.	शिकायत सं0-128/11	मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड रांची के पद का अतिरिक्त प्रभार कनीय पदाधिकारियों को देने में किए गये भ्रष्टाचार से संबंधित श्री दिलीप तिवारी, जिला सचिव बोकारो, मार्क्सवादी समन्वय समिति का शिकायत।	10.05.2011	शिकायत से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में WP (S) 2567ध2010 दायर रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।

28.	शिकायत सं०- 257/11	जी.आर. 71/10, 121/10, 143/10, 299/09 के तहत जांच कराकर न्याय दिलाने से संबंधित श्री मंगल कच्छप, मंडल कारा चाईबासा से प्राप्त शिकायत।	10.06.2011	लोकायुक्त अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
29.	शिकायत सं०- 246/11	माननीय उच्च न्यायालय, रांची से पारित आदेश के बावजूद अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पलामू द्वारा सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं करने से संबंधित श्री छोटेलाल प्रसाद सिन्हा का शिकायत।	03.06.2011	माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना से संबंधित शिकायत रहने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
30.	शिकायत सं०-158/11	जिला रांची अनुमण्डल सदर थाना सिल्ली ओ० पी० में दर्ज प्राथमिकी संख्या 60/11 दिनांक 10.4.2011 की निष्पक्ष जांच के संबंध में श्रीमती नीरा देवी से प्राप्त शिकायत।	01.06.2011	शिकायत से संबंधित थरु थाना में दोनों पक्ष द्वारा दर्ज किये जाने के कारण अग्रतर जांच हेतु पोषणीय नहीं पाया।
31.	शिकायत सं०-163/11	श्री फकरू जामा अंसारी तत्कालीन अवर निरीक्षक, गुमला द्वारा अमानवीय ढंग से प्रताड़ित किये जाने के संबंध में मो० नौशाद, बंदी मंडल कारा गुमला से प्राप्त शिकायत।	13.06.2011	लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला होने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
32.	शिकायत सं०-91/2011	श्री काशीनाथ मण्डल, पिता-स्व० गोविन्द मण्डल धनबाद द्वारा अंचल अधिकारी गोविन्दपुर, उपायुक्त धनबाद तथा सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गलत प्रतिशपथ पत्र डालते हुए जालसाजी करने से संबंधित परिवाद।	11.05.2011	शिकायत से संबंधित वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के कारण अलग से कार्रवाई हेतु पोषणीय नहीं पाया गया।
33.	शिकायत सं०-173/11	जुगसलाई थाना कांड सं०- 145/99 जी. आर. 1377/99 में बिजली चोरी का झुठा आरोप दर्ज करने पर श्री रामजतन प्र० सिंह, वरीय विद्युत अभियंता जुगसलाई प्रमण्डल एवं थाना प्रभारी श्री ऐ० के० सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायत।	21.06.2011	लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई नहीं की गयी।
34.	शिकायत सं०-130/11	श्री रामकृष्णा सिंह, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, जमुई बिहार द्वारा टाटा मोटर्स मुम्बई एवं अन्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में।	23.05.11	प्राप्त शिकायत निजी व्यक्ति एवं फर्मों के विरुद्ध रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं पाया गया।
35.	शिकायत सं०-201/11	श्री लक्ष्मण महानन्द, गांधीनगर बस्ती जमशेदपुर बर्मा माईन्स द्वारा प्राप्त शिकायत।	23.05.2011	दो निजी व्यक्तियों के बीच से संबंधित शिकायत होने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं पाया गया।
36.	शिकायत सं०-89/2011 14/2010	श्री बसन्त राम, आयकर अधिकारी रामगढ़ के विरुद्ध श्री बनवारी लाल गोला रोड रामगढ़ से प्राप्त शिकायत।	07.05.2011	शिकायत केन्द्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध होने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।
37.	शिकायत सं०-150/2011	डा० प्रीतम कुमार, उपकुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय राँची पर निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने से संबंधित प्राप्त शिकायत।	28.04.2011	शिकायत से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहने एवं शिकायत में वर्णित अन्य तथ्यों के आलोक में शिकायत पोषणीय नहीं पाया गया।
38.	शिकायत सं०-65/2010	श्री कामेश्वर बैठा, संसद सदस्य लोकसभा द्वारा श्री सीताराम महतो के भविष्य निधि खाता के भुगतान से संबंधित प्राप्त शिकायत।	20.04.2011	प्राप्त शिकायत सी० सी० एल० से सेवानिवृत्त कर्मियों का रहने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया। शिकायत संबंधित संस्थान को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
39.	शिकायत सं०-38/2011	मो० इकबाल अंसारी, पारा शिक्षक, ग्राम- नेयाडीह, पो० महजोरी, जिला देवघर के जाली प्रमाण पत्र से संबंधित मो०	04.04.2011	प्राप्त शिकायत लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद

		सिथीक अंसारी का शिकायत।		की गयी।
40.	शिकायत सं0-163/2011	ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ प्राप्त नहीं होने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डा0 सुरेन्द्र कुमार से प्राप्त शिकायत।	26.05.2011	शिकायत से संबंधित वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं शिकायत में वर्णित अन्य पहलुओं के आलोक में परिवाद पोषणीय नहीं पाया गया।
41.	शिकायत सं0-119/2011	श्री महेश प्रसाद गुप्ता, मो0- जेलहत्ता डालटेनगंज द्वारा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पलामू एवं जिला प्रशासन डालटें	04.05.2011	शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर करते हुए उपचार प्राप्त किया गया है अतएव लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8(1)(ख) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।
42.	शिकायत सं0-186/2011	श्री राजेन्द्र सिंह, पिता- स्व0 चन्द्र सिंह, ग्राम- करगे माण्डर द्वारा अवैध बिक्री पट्टा के खिलाफ दाखिल खारिज एवं जमीन का मापी रोकने से संबंधित शिकायत।	21.06.2011	शिकायत से संबंधित मामला लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
43.	शिकायत सं0- 140/2011	श्री रामेश्वर प्र0 मेहता, ग्राम- बरियठ, थाना- ईचाक हजारीबाग द्वारा शीर्ष प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ नियम विरुद्ध कार्य करने से संबंधित शिकायत।	20.05.2011	शिकायत दो पक्षों के बीच का रहने एवं इससे संबंधित मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी हजारीबाग के न्यायालय में लंबित रहने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
44.	शिकायत सं0-156/2011	श्री अयोध्या सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड रांची के वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	21.05.2011	शिकायत से संबंधित वाद संख्या- 196ध2008 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पोषणीय नहीं पाया गया।
45.	शिकायत सं0-101/2011	राजकीयकृत उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह के वरीयता निर्धारण में अनियमितता से संबंधित शिकायत।	10.05.2011	शिकायत अग्रतर कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को अग्रसारित किया गया।
46.	शिकायत सं0-189/2011	श्री दीपक कुमार सिंह पिता-श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा श्री महेश झा से दस हजार रू0 कर्ज लेने एवं मांगने पर जान से मार देने की धमकी के संबंध में श्री महेश झा से प्राप्त शिकायत।	28.05.2011	शिकायत दो पक्षों के बीच का रहने एवं प्राथमिकी दर्ज किए जाने से संबंधित होने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
47.	शिकायत सं0-271/2011	कार्यपालक अभियंता श्री मदन मोहन सिंह नगर पर्षद मेदनीनगर द्वारा असंवैधानिक तरीके से आवंटन को रद्द करने के संबंध में प्राप्त श्री निर्माण कुमार केडिया, डालटेनगंज का शिकायत।	22.06.2011	प्राप्त शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8(4) के तहत समयावधि बीत जाने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
48.	शिकायत सं0-20/2011	जिला सहकारिता पदाधिकारी देवघर श्रीमती मंजू विभावरी एवं अन्य के विरुद्ध श्री मनोज कुमार झा, देवघर एवं अन्य द्वारा प्राप्त शिकायत।	25.04.2011	शिकायत से संबंधित मामला सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा निष्पादित किये जाने एवं शिकायकर्ता को अन्य उपचार प्राप्त होने के कारण लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8(1)(ख) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।
49.	शिकायत सं0- 74/2010	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में अवैध रूप से अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने से संबंधित शिकायत।	05.05.2011	शिकायत अस्पष्ट होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
50.	शिकायत सं0- 97/2011	आवास बोर्ड द्वारा आवंटित मकान के लिए बकाया राशि के भुगतान के संबंध में प्राप्त शिकायत।	06.05.2011	प्राप्त शिकायत लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने एवं सामान्य प्रकृति के रहने के कारण संबंधित विभाग को

				अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया।
51.	शिकायत सं०-12/2011	श्री मदन मोहन त्रिपाठी, पाली जौनपुर, उत्तरप्रदेश से प्राप्त शिकायत।	04.03.2011	प्राप्त शिकायत प्राईवेट कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम 2001 की धारा 2 में विनिर्दिष्ट लोकसेवक की परिभाषा तथा 2(1)7 में निहित प्रावधानों के आलोक में पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
52.	शिकायत सं०-32/2010	श्री लगन चन्द्र पाण्डेय, ग्राम- कुसमार्टॉड, पो०- परधा, थाना- बलियापुर धनबाद द्वारा मुआवजा एवं नौकरी नहीं प्रदान करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	05.05.2011	प्राप्त शिकायत बी. सी. सी. एल. के पदाधिकारियों के विरुद्ध रहने एवं सीधे लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं पाया गया।
53.	शिकायत सं०-76/2010	श्री ए० बी० शरण, आवास सं०-301 बागेश्वरी इनक्लेव, चित्रगुप्त कॉलोनी हटिया से प्राप्त शिकायत के संबंध में।	16.03.2011	शिकायतकर्ता भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी हैं एवं शिकायत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उनके लंबित बकाये भुगतान से संबंधित है। उक्त शिकायत लोकायुक्त अधिनियम में निहित प्रावधान के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद किया गया।
54.	शिकायत सं०-73/2010	श्री तारकेश्वर पाण्डे, कुलसी रोड, क्वाटर नं०- 12, टीना सेट जमशेदपुर द्वारा अपनी अचल संपत्ति बेटा द्वारा दलखकर बेदखल किए जाने से संबंधित शिकायत।	17.03.2011	प्राप्त शिकायत की प्रकृति पारिवारिक झगड़ा होने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।
55.	शिकायत सं०-64/2010	स्व० शीतल प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, नवाडीह, अंचल चौपारण-1 जिला हजारीबाग के भविष्य निधि राशि के भुगतान के संबंध में प्राप्त शिकायत।	25.03.2011	शिकायत से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को अनुतोष प्राप्त होने एवं वहीं से उपचार प्राप्त होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
56.	शिकायत सं०-35/2011	श्री भगीरथ महतो, ग्राम-पो०-सतानी भाया बुंडु जिला- राँची झारखण्ड को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	04.04.2011	प्राप्त शिकायत झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा RTI के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित है। RTI के तहत शिकायतकर्ता को अन्य उपचार प्राप्त होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
57.	शिकायत सं०-36/2010	श्री लक्ष्मण चौधरी द्वारा आशुलिपिक के पद पर प्राचार्य से मिलकर नियुक्त किये जाने के संबंध में कृपा नाथ झा से प्राप्त शिकायत।	20.01.2011	लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8(1)'क' के अन्तर्गत शिकायत पोषणीय नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
58.	शिकायत सं०-262/11	श्री बद्रीनारायण सिंह ग्राम-बरहीडीह पो०-बरीहडीह थाना बरही जिला हजारीबाग द्वारा प्राप्त शिकायत से संबंधित।	09.8.2011	प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता को अन्य आशुतोष लाभ रहने के कारण शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
59.	शिकायत सं०-154/11	डी० आई०जी०/आई०जी० दुमका द्वारा पद का दुरुपयोग कर बिटुमन घोटाला से संबंध 12 कड़ोर रुपये के लुट गबन के मामले में देवघर नगर थाना काण्ड संख्यां 127/09 के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में।	31.05.2011	परिवाद माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित रहने के कारण मुख्य मंत्री सचिवालय को अग्रसारित कर दिया गया।
60.	शिकायत सं०-351/2011	तकदुस खान पिता-स्व० दायम अलि खान ग्राम, पो०-महंगाई प्रखण्ड मरकच्चो कोडरमा बनाम श्री फिदेलिस टोप्पो तत्कालिन जिला परिवहन पदाधिकारी	18.08.2011	परिवादी द्वारा हर्जाने की मांग की गई है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के प्रावधान के तहत नहीं आता है।

		चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)		
61	शिकायत सं0-268/2011	दलपति के पद पर नियुक्ति के संबंध में श्री पारस मणि झा से प्राप्त शिकायत ।	17.09.2011	लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 10(4-A) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
62.	शिकायत सं0. 159/09	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के छठे चरण की पुनर्निविदा पैकेज के संबंध में ।	16.12.201	परिवादी द्वारा परिवाद वापसी के याचना के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
63	शिकायत सं0-388/2011	श्रीमती रत्ना तिवारी द्वारा श्री सत्यानन्द सिंहा पथ नि0 विभाग राँची , श्री एम.एम. सिंहा प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार व श्री राम नरेश शरण अभियंता प्रमुख के विरुद्ध प्राप्त शिकायत ।	14.09.2011	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के क्षेत्राधिकार के परे रहने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
64	शिकायत सं0-361/2011	झारखण्ड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर अनियमितता व अवैध कार्य करने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	13.09.2011	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के क्षेत्राधिकार के परे रहने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
65	शिकायत सं0 170/2011	पुलिस द्वारा गैरकानूनी ढंग से ननवेलुवल वारन्ट तथा धारा -83 के तहत इशतेहार लगाकर जानबुझ कर परेशान करने के संबंध में श्रीमती फातिमा जोहरा जमशेदपुर का शिकायत ।	19.08.2011	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण संचिकास्त ।
66	शिकायत सं0 10/2010	अप्रशिक्षित /अर्द्धप्रशिक्षित जनसेवकों को गलत तरिके से सेवा सम्पुष्ट, कालबद्ध प्रोन्नती व A.C.P. का लाभ दिये जाने पर बेंजामिन फ्रांसिस तिर्की का शिकायत ।	29.08.2011	शिकायत नकली परिवादी द्वारा गलत पता देकर प्रेषित रहने के कारण तथा शपथ पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण बंद कर दी गई ।
67	शिकायत सं0 304/2011	मृत मंगरा उराँव सहायक आरक्षी निरीक्षक पश्चिमी चम्परण बेतिया के मृत्यु उपरान्त दे अनुकम्पा एवं दे राशि का भुगतान करने के संबंध में ।	03.09.2011	परिवादी का शिकायत पत्र, प्रधान सचिव, गृह मंत्रालय झारखंड, राँची को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है ।
68	शिकायत सं0 358/2011	पाकुड़ नगर थाना कान्ड सं0 1153/11 में ललिता मिश्रा के पति श्री निरंजन कुमार मिश्रा को झुठा केस में फसाने के संबंध में ।	14.09.2011	
69	शिकायत सं0 331/2011	शिवनारायण प्रसाद चौरसिया के जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के संबंध में ।	10.09.2011	
70.	शिकायत सं0 404/2011	राजेश मुण्डा गांव मैसुडीह बुन्दु हत्या कान्ड में लालमोहन मुण्डा को फसाने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	19.09.2011	
71	शिकायत सं0 303/2011	रजनी कुमारी द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक व्यवस्था पर बर्बाद करने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	17.09.2011	
72	शिकायत सं0 366/2011	स्वेता कुमारी पिता स्व0 जुगल किशोर द्वारा झुठा केस लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में ।	17.09.2011	
73	शिकायत सं0 342/2011	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, अंचल निरीक्षक, सह कानूनगो बंदोबस्त कार्यालय, रांची का अनावश्यक रूप से अभी तक प्रोन्नति नहीं देने के संबंध में ।	14.09.2011	परिवादी का लोकसेवक रहने के कारण शिकायत पोषणीय नहीं पाया गया ।
74	शिकायत सं0 316/2011	स्व0 इमिल मिंज (सेवानिवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी) पति तरैसा	10.09.2011	प्राप्त शिकायत से संबंधित मामला माननीय उच्च

		मिंज, बड़ा घाघरा, खुशबू टोली, पो0-डोरण्डा रांची के पेंशन भुगतान के संबंध में।		न्यायालय दायर रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।
75	शिकायत सं0 337/2011	श्री अजीत कुमार सिंह, ग्रा0+पो0-बसडीला, भाया-जलालपुर बाजार, जिला-छपरा, बिहार से प्राप्त शिकायत।	12.09.2011	शिकायत से संबंधित मामला में यथास्थिति अनुसंधान जारी रहने का पर्याप्त कारण नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
76	शिकायत सं0 31/2010	श्री सुधीर चन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी तोपचांची हजारीबाग द्वारा अंचल अधिकारी तोपचांची के विरुद्ध प्राप्त शिकायत।	21.04.2011	शिकायत त्रुटिपूर्ण होने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
77	शिकायत सं0 393/2011	श्री प्रसन्न कुमार सोनार, ग्राम-कोनसोदे, पो0- बरसलोया, जिला सिमडेगा से प्राप्त शिकायत।	7.10.2011	शिकायत दो व्यक्तियों के बीच स्वत्व का मामला रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।
78	शिकायत सं0 452/2011	श्री सूर्यवंश सिंह, वनरक्षी, शाहवादा वन प्रमण्डल का वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय महिलोंग के 90वां सत्र के परीक्षाफल से संबंधित शिकायत	07.10.2011	शिकायतकर्ता से संबंधित शिकायत मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग के न्यायालय में अपील दायर रहने के कारण पोषणीय नहीं पाया गया।
79	शिकायत सं0 224/2011	श्रीमती लौरिसिया केरकेट्टा, ग्राम- चियांकी थाना- डालटेनगंज से प्राप्त शिकायत।	07.10.2011	शिकायत दो व्यक्तियों के बीच स्वत्व का मामला रहने के कारण लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाया गया।
80.	शिकायत सं0 298/2011	श्री राजेश कुमार, तमाड़ रांची, झारखण्ड द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तमाड़ में फैले भ्रष्टाचार, अराजकता, लापरवाही से संबंधित शिकायत।	07.10.2011	प्राप्त शिकायत के संदर्भ में शिकायतकर्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं किये जाने की सूचना एवं उक्त शिकायत पर किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किये जाने के पश्चात प्राप्त शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बंद की गयी।
81	शिकायत सं0 440/2011	श्री रामशंकर प्रसाद जिला निलाम पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी गुमला के विरुद्ध शिकायत के संबंध में।	07.10.2011	परिवाद जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के न्यायालय में प्रक्रियाधीन रहने के कारण बंद कर दिया गया।
82	शिकायत सं0 344/2011	पियारी महतो सेवा निवृत्त सहायक जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गिरीडिह ग्राम-पिण्डटांड पो0-रानीखावा भाया-पचम्बा जिला गिरीडिह।	17.09.2011	परिवादी को सभी प्रकार के सेवांत लाभों का भुगतान होने तथा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद करने के अनुरोध के कारण परिवाद पर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
83	शिकायत सं0 343/2011	SD.O. सरायकेला व स्थानीय पुलिस और प्रशासन का मेसर्स आधुनिक पावर व नेचुरल रिसोर्सेज लि0 पदमपुर द्वारा गोकुल कुमार के जमीन को हडपने की कुकृत्य में सहयोगी बनने के संबंध में गोपालकृष्ण मालवीय व मनोज लाल खत्री द्वारा दायर परिवाद।	19.09.2011	परिवादी को अन्य अनुतोष प्राप्त रहने के कारण परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
84	शिकायत सं0 338/2011	राज्य स्वास्थ्य सेवा के कार्यरत सेवा निवृत्त एवं अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों के लम्बित समस्याओं के निदान 14 अगस्त तक नहीं होना पर दिनांक 16.08.2011 से अनिश्चित कालीन हड़ताल के संबंध में।	10.09.2011	परिवाद में लोकायुक्त अनियम 2001 के तहत न तो शिकायत और न अभिकथन रहने के कारण यह परिवाद संबंधित विभाग को अग्रसारित कर दिया गया।
85.	शिकायत सं0 43/2011	मो0 इसराईल अंसारी सेवानिवृत्त कर्मचारी बेरमो बोकारे से	02.09.2011	परिवादी के मृत्युपरांत परिवाद में अंकित पता पर नहीं

		प्राप्त शिकायत के संबंध में।		रहने तथा परिवाद पत्र बिना हस्ताक्षर के रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
86	शिकायत सं0 419/2011	अनु0 पदा0 व अंचलाधिकारी लातेहार द्वारा विभिन्न खाता सं0 व प्लाट सं0 से अतिक्रमण का नहीं हटाये जाने से संबंधित पारसनन्दन प्रसाद का शिकायत।	19.09.2011	शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया।
87	शिकायत सं0 49/2010	आर्म्स डिलर श्री कमलजीत सिंह व उनके पुत्र श्री सिमरपाल सिंह को आर्म्स मजिस्ट्रेट मो0 नसीम खान व संबंधित सहायक द्वारा सहयोग दिये जाने के संबंध में श्री गुरदीप सिंह का शिकायत।	22.09.2011	परिवादी को अन्य अनुतोष उपलब्ध रहने के कारण संचिकास्त।
88	शिकायत सं0 474/2011	श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव कतरास धनबाद के परिवाद पत्र पर अरगोड़ा थाना काण्ड सं0 154/2009 के संबंध में समूचित कार्रवाई करते हुए एवं इन मामलो में पुनः क्ल सं जांच करान के संबंध में।	27.10.2011	परिवाद न्यायिक दंडाधिकारी राँची के नयायालय में लम्बित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई।
89.	शिकायत सं0 256/2010	जामताड़ा जिली अन्तर्गत फतेहपुर थाना काण्ड सं0 16/10 में डॉक्टर एवं पुलिस द्वारा प्रमाण एवं साक्ष्य छुपाने के संबंध में श्री बाबु राम मुर्मू से प्राप्त शिकायत।	29.10.2011	जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला लम्बित रहने के कारण परिवाद विचारणीय नहीं है।
90.	शिकायत सं0 03/2010	श्री राम नारायण ठाकुर थाना प्रभारी जगरन्नाथ पुर के विरुद्ध श्री खिरोद चन्द्र गोप का शिकायत।	12.10.2011	परिवादी से दो बार स्मार पत्र द्वारा शपथ पत्र की मांग की परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बन्द की गई।
91.	शिकायत सं0 444/2011	निर्मल कुमार दास को ओ0 पी0 विनोद कुमार द्वारा फर्जी कागजात से गैर जमानती धारा में फसाने के संबंध में।	26.09.2011	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के क्षेत्राधिकार से परे रहने के कारण संचिकास्त।
92	शिकायत सं0 499/2011	आयडा के तत्कालिन प्रबंध निदेशक श्री सी0 के बसु के विरुद्ध शिकायत।	09.12.2011	लोकायुक्त अधिनियम की धारा 4(a)(b) के तहत परिवाद विलम्ब से दाखिल करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई।
93.	शिकायत सं0 387/2011	रंजीत कुमार राय पत्राकार पिता स्व0 गोकुल चन्द्र राय सी0 ई/एच. ई. सी., शुक्ला कॉलोनी हिनु द्वारा राँची नगर निगम के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत।	08.12.2011	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मामले को संज्ञान में लेने के कारण शिकायत पर अगली कार्रवाई बंद कर दिया गया।
94.	शिकायत सं0 471/2011	सरकारी वन रोपन सहित अन्य कार्यों के लिए बजट आवंटन में विलम्ब पर रोक लगाने के संबंध में अनिल कुमार सिंह का शिकायत।	8.12.2011	लोकायुक्त अधिनियम 2000 की धारा 9 (1)(ख) के अन्तर्गत शिकायत पोषणीय नहीं होने के कारण शिकायत पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
95.	शिकायत सं0 165/2011	श्री अशोक कुमार बारीडिह जमशेदपुर बनाम सुनील कुमार सिंहा अनुमंडल पदाधिकारी दालभूम जमशेदपुर व अन्य।	09.12.2011	नकली परिवादी द्वारा गलत पता देकर शिकायत किया गया जिस कारण शिकायत को बंद कर दिया गया।
96.	शिकायत सं0 158/2009	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के छठे चरण की निविदा कार्य पैकेज ज0 एी0 0108 के आवंटन में बरती गई अनियमितता के संबंध में।	16.12.2011	परिवादी द्वारा परिवाद वापसी के याचना के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई।
97.	शिकायत सं0 69/2010	पारस एण्ड गुप के शतिर सदस्य श्री राजदेव सिंह क ट्ट के सरायकेला गुमला, राँची एवं पाकुड़ के पदस्थापन के दौरान	12.11.2011	कई स्मार पत्रों के बाद भी शिकायतकर्ता के द्वारा शपथ पत्र तथा न्यायिक शुल्क जमा नहीं करने के कारण

		इनके द्वारा कराये गये कार्यों की जांच एवं इनके आकृत सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में ।		संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
98.	शिकायत सं0 289/2011	श्री दीन दयाल बनाम आंगनबाड़ी केन्द्र किशुनपुर की सेविका बिन्दुमति देवी सहायिका उमा देवी एवं अन्य ।	24.11.2011	शिकायत वाद की त्रुटि को शिकायतकर्ता द्वारा निराकरण नहीं करने के कारण शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
99.	शिकायत सं0.332/2011	श्री विशाल कच्छप लालगंज राँची से प्राप्त शिकायत ।	08.11.2011	परिवादी द्वारा शिकायत वापसी के लिखित याचना के बाद शिकायत वाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
100	शिकायत सं0 171/2009	जिला समन्वयक पदाधिकारी प्रकल्प प0 सिंहभूम की गलत तरिके से नियुक्ति के संबंध में ।	02.01.2012	नकली परिवादी द्वारा गलत पता देकर शिकायत दायर किया गया है ।
101	शिकायत सं0 53/2010	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में नलकूप निर्माण योजना में उपयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों के क्रय में व्याप्त भ्रष्टाचार व जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल के संबंध में श्री महेश खिरवाल से प्राप्त शिकायत ।	02.01.2012	कई स्मार पत्रों के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र और कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दी गई ।
102	शिकायत सं0 479/2011	ननिहाल के जमीन पर कब्जा को लेकर भाई बहन के बीच झगड़ा के संबंध में ।	20.12.2011	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण संचिकास्त ।
103	शिकायत सं0 512/2011	राजेन्द्र सिंह पिता स्व0 नुनु सिंह ग्राम- बरसोतियाबर कोडरमा के द्वारा अपनी पत्नी तथा बच्चों को जान से मार देने की योजना के संबंध में ।	20.12.2011	परिवादी को अन्य अनुतोष प्राप्त रहने के कारण संचिकास्त ।
104	शिकायत सं0 562/2011	सिद्धार्थ झा बोकारो के द्वारा मुझे एवं मेरे पति श्री मृणाल को जान बुझ कर मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित एवं परेशान करने के संबंध में ।	20.12.2011	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण संचिकास्त ।
105	शिकायत सं0 555/2011	हत्या का षडयंत्र रच कर सरकारी चल अचल सम्पत्ति के करोड़ों गबनकारियों जालसाजों भ्रष्टाचारियों द्वारा आवेदक तथा मुख्य गवाह को मिटाए जाने का प्रयास को तुरंत रोके जाने के संबंध में ।	20.12.2011	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण संचिकास्त ।
106	शिकायत सं0 508/2011	श्री अमर कुमार सिंह प्रोफेसर सिद्धु कान्हु मुर्मू विश्व विद्यालय दुमका को एक्स श्रेणी सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में ।	13.12.2011	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण संचिकास्त ।
107	शिकायत सं.0 494/2011	चास थाना इन्सपेक्टर एवं डी.एस.पी. द्वारा ज्यादती करने एवं झुठा केस में फसाने के संबंध में ।	13.12.2011	एफ.आई.आर. दर्ज होने तथा मामले का अनुसंधान पुलिस किये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दी गई ।
108	शिकायत सं0 310/2011	तिलैया थाना कान्ड सं0 147/2011दिनांक 04.04.2011 मुद्दालय मुकदमा में अभ्युक्तों को गिरफ्तारी का आदेश देने एफ.आई.आर.के अनुसार अतिक्रमण हटाने एवं चार्ज शीट दाखिल करने के संबंध में ।	20.12.2011	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण संचिकास्त ।
109	शिकायत सं0 566/2011	श्रीमती सूरजदेवी पति स्व0 बद्रीनारायण सिंह ग्राम करसो थाना बरही हजारीबाग द्वारा मूल केवाला में दिये गये प्लाट को मिटा करा कर दाखिल खरिज करवाने के संबंध में ।	05.01.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

